ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/26	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 02.04.2026 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम किशनेरी जेती पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 237/25 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से गैर कृषि अवैध दुकान बनाकर वाणिज्यक उपयोग किया जा रहा था जो अप्रार्थी ने बिना अधिकार पत्र के वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि किस्म परिवर्तन किये ही उपयोग करने पर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि उपखण्ड अधिकारी बाप के आदेश कमांक 215846 दिनांक 02.04.2026 को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा ली है। उक्त प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थना पत्र को ड्रोप फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध पर दस्तावेजा मय सपरिर्वतन आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का संपरिवर्तन दिनांक 02.04.2026 को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ करवा लिया है जो पत्रावली के संलग्न संपरिवर्तन आदेश की प्रति से साबित है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Satya सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	